



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर गृह भेदन कर चोरी करने के आरोपियों कल्लू, कृष्ण व सुन्दर को हुआ 01 वर्ष 05 माह 17 दिन के कारावास व 03-03 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष-2001 में अभियुक्तों कल्लू, कृष्ण व सुन्दर निवासीगण करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा गृह भेदन कर चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 384/2001 धारा 380/457/511 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.08.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों कल्लू, कृष्ण व सुन्दर को हुआ 01 वर्ष 05 माह 17 दिन के कारावास व 03-03 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 21.08.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 465/24 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 एलपीजी सिलैण्डर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2024 को थाना बड़ौत पर वादी ऋषिपाल प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बिजरौल नं0-01 थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 24.06.2024 की रात्रि में किसी अज्ञात चोर द्वारा प्राथमिक विद्यालय बिजरौल नं0 - 01 के कमरे का ताला तोडकर 02 गैस सिलेण्डर, 01 गैस चूल्हा, रेग्यूलैटर एवं राशन (गेहू , चावल) चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु0अ0सं0 465/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया है।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 465/24 धारा 457/380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 एलपीजी सिलैण्डर बरामद हुआ ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक उर्फ फुल्लु उर्फ फूल सिंह पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बड़ाबद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 एलपीजी सिलैण्डर इण्डेन ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 1016 रोहित राठौर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

